



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 1 अक्टूबर, 2020

आश्विन 9, 1942 शक सम्बत्

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), जौनपुर

पत्रांक 43/जि0नि0का0/पं0नि0/नि0नामा0पुन0-2020

जौनपुर, 18 सितम्बर, 2020

सूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, उ0 प्र0, लखनऊ की अधिसूचना संख्या 2020302041/रा0नि0आ0-3/पं0नि0/15-19-2020, दिनांक 15 सितम्बर, 2020 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों का वृहद पुनरीक्षण कराये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। अतः उक्त के क्रम में मैं, दिनेश कुमार सिंह, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0), जौनपुर जनपद के समस्त विकास खण्डों के निर्वाचक नामावलियों का नीचे लिखे समय-सारिणी के अनुसार पुनरीक्षण कराये जाने का निर्देश देता हूँ।

समय-सारिणी

क्र0 सं0	कार्य विवरण	अवधि
1	किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन की कार्यवाही बी0एल0ओ0 एवं पर्यवेक्षक को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन उन्हें तत्सम्बन्धी जानकारी देना तथा स्टेशनरी आदि का वितरण उपर्युक्त दोनों कार्यवाही पृथक-पृथक तथा समानान्तर चलेगी	15 सितम्बर, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक
2	बी0एल0ओ0 द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण करने की अवधि	1 अक्टूबर, 2020 से 12 नवम्बर, 2020 तक
3	ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि	1 अक्टूबर, 2020 से 5 नवम्बर, 2020 तक
4	ऑनलाइन प्राप्त आवेदन-पत्रों की घर-घर जाकर जाँच करने की अवधि	6 नवम्बर, 2020 से 12 नवम्बर, 2020 तक
5	ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करना	13 नवम्बर, 2020 से 5 दिसम्बर, 2020 तक

क्र० सं०	कार्य विवरण	अवधि
6	ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन	6 दिसम्बर, 2020 तक
7	ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण	6 दिसम्बर, 2020 से 12 दिसम्बर, 2020 तक
8	दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त करना	6 दिसम्बर, 2020 से 12 दिसम्बर, 2020 तक
9	दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण	13 दिसम्बर, 2020 से 19 दिसम्बर, 2020 तक
10	दावे और आपत्तियों का निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने की कार्यवाही	20 दिसम्बर, 2020 से 28 दिसम्बर, 2020 तक
11	निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन	29 दिसम्बर, 2020

2-अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पं०) एवं उप जिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पं०) द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना-पट्टों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे।

3-निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी। निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ायी जायेगी।

4-वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत पुनरीक्षण कार्य में लगे सभी अधिकारियों/कार्मिकों को निम्न बातें ध्यान में रखना होगा।

- (1) अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड रखना होगा।
- (2) कोई कार्मिक जब क्षेत्र में जाए, फेस मास्क लगाए रखना होगा।
- (3) किसी भी घर के एक या दो सदस्यों से ही सोशन डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 2 गज की दूरी से वार्ता की जायेगी।
- (4) अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करके एक साथ कई परिवारों का विवरण दर्ज नहीं किया जायेगा।
- (5) सैनिटाइजर की शीशी साथ रखना होगा और किसी भी अभिलेख को देखने या हस्ताक्षर कराने के पश्चात् हाथों को सैनिटाइज किया जायेगा।
- (6) कार्मिक कन्टेनमेन्ट जोन में नहीं जायेंगे। कन्टेनमेन्ट जोन समाप्त होने पर उनके द्वारा सत्यापन कार्य किया जायेगा।
- (7) यदि किसी कार्मिक को कोविड-19 के लक्षण हों या कोविड पाजिटिव हो, तो उसे इसकी सूचना तत्काल यथास्थिति अपने उच्चाधिकारियों को दिया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से,
दिनेश कुमार सिंह,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
जौनपुर।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 279 राजपत्र-2020-(707)-588+10 = 598 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/ऑफसेट)।